

प्रेषक,
लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
सीतापुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 23 सितम्बर, 2014

विषय: तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि क्रय कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13-सी0एफ0-21/431-दै0आ0/गृह कटान/2012/ राहत, दिनांक 10-07-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्तावानुसार वर्ष 2013 में तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में भूमि क्रय कर निःशुल्क आवंटित किये जाने हेतु ग्राम अज्जयपुर में 18.531 हे0 भूमि रू0 12,65,000/- प्रति हे0 सरकारी दर से तथा निबन्धन शुल्क को सम्मिलित करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, ^{रु०} रू0 2,39,81,715/- (रूपये दो करोड़ उन्तालिस लाख इक्यासी हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) निम्नानुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियम एवं शासनादेश के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

3. तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 2010/1-10-2012-33(37)/12-टी.सी.-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदायें-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या- 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
6. व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(लीना जौहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त ।

संख्या-674(1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सीतापुर ।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/ राजस्व अनुभाग-11/12/13/ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(शम्भू दयाल त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।